फाइल नं0-71-1-1002(002)/32/2021

91/2021/1/67886/2021

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ :दिनॉक 01 जून, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में डायबेटिक रेटिनोपैथी सेन्टर की स्थापना हेतु राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज तथा मेरठ में उपकरणों के क्रय हेतु मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2021/312, दिनॉक 27.05.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत डायबेटिक रेटिनोपैथी सेन्टर की स्थापना हेतु मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में मेडिकल कालेज, मेरठ में प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख तथा मेडिकल कालेज, प्रयागराज में प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख कुल रू0 4,00,00,000/- (रू0 चार करोड़ मात्र) की निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1- संलग्न अनुमोदित उपकरणों में से के0जी0एम0सी0 में स्थापनाधीन डायेबेटिक रेटिनोपैथी सेन्टर हेतु कॉमन उपकरणों के क्रय हेतु नियमानुसार जेम पोर्टल पर निविदा आमंत्रित करने एवं एतद्संबंधी अन्य कार्यवाही हेतु रजिस्ट्रार, के0जी0एम0सी0 नोडल होंगे। उपकरणों के क्रय हेतु भुगतान की कार्यवाही तथा उपकरणों की आपूर्ति होने पर स्थापना की कार्यवाही संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा करायी जायेगी।
2- जो उपकरण के0जी0एम0सी0 से इतर आवश्यक है तथा जिनका उल्लेख संलग्न सूची 'ख' में है, के क्रय एवं स्थापना की कार्यवाही संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा की जायेगी।
3- विद्यमान वित्तीय नियमों व प्राविधानों का पालन करते हुए तथा नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाते हुये ही उपकरणों का क्रय किया जाये।
4- उपकरणों के प्रोपरायटरी यदि कोई है तो इसका निर्धारण किये जाने का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 तथा संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य का होगा। क्रय किये जाने वाले उपकरणों के स्पेसिफिकेशन, क्रय प्रक्रिया सुनिश्चित करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व रजिस्ट्रार, के0जी0एम0यू0/संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।
5- उपकरणों की गुणवत्ता मानक के अनुसार निर्धारित करते हुये आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व संबंधित रजिस्ट्रार, के0जी0एम0यू0 तथा संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।
6- उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में प्राविधानित धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 को उपलब्ध कराया जायेगा।
7- उपकरणों क्रय हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों व शासनादेशों एवं यू0पी0 प्रोक्योरमेन्ट एण्ड गुड्स मैनुअल, 2016 में में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8- उक्त स्वीकृत धनराशि से उपकरणों का क्रय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करके किया जाएगा।
9- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

11- डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाए कि विगत 05 वर्षो में इस प्रकार के उपकरण की क्रयदारी नहीं की गई तथा उपकरण रखने हेतु स्थान संरक्षित एवं संसाधनयुक्त है।

12- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0) /2016, दिनॉक 23.08.2017 में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13- पारदर्शी प्रक्रिया से गुणवत्तायुक्त सामग्री का क्रय तथा तदनंतर आडिट का उत्तरदायित्व रजिस्ट्रार, के0जी0एम0यू0/संबंधित प्रधानाचार्य/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण का होगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-88-डायबेटिक रेटिनोपैथी सेन्टर-8802-मेडिकल कालेज, मेरठ-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र-8803-मेडिकल कालेज, प्रयागराज-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021] दिनांक 22-03-2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या:-तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- कुलपति, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
4- रजिस्ट्रार, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
5- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, मेरठ तथा प्रयागराज।
6- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, मेरठ तथा प्रयागराज।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ तथा प्रयागराज।
8- श्री कुलदीप रस्तोगी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
9- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फाइल नं0-71-1-1002(002)/32/2021

91/2021/1/67886/2021

संलग्नक-

क- कॉमन उपकरण

कालेज/संस्थान का नाम	उपकरण का नाम	आवश्यक मात्रा	अनुमानित मूल्य प्रति नग
LLRM, Meerut	Green laser multispot split lamp delivery and indirect delivery system with documentation printer	01	120.00 Lakh
MLN, Prayagraj	Advanced 25 and 27 gauge hight cutting vitretomy system with inbuilt endo laser with online UPS	01	80.00 Lakh

ख- कॉमन उपकरणों से इतर उपकरण-

कालेज/संस्थान का नाम	उपकरण का नाम	आवश्यक मात्रा
MLN, Prayagraj	High end surgical microscope	01
LLRM, Meerut	Spectral domain OCT and OCT Angiography with online UPS,	01
LLRM, Meerut	Phaeoemulsification machine system with active fluidics with torsional phaco with video overlay with UPS	01

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।